<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

दिनाँक 28.02.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी की अध्यक्षता में सैनिक सम्मलेन व मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन</u>

आज दिनांक 28.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा की अध्यक्षता में पुलिस लाईन सभागार में सैनिक सम्मलेन व मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं पुलिस कार्यालय सहित समस्त शाखाओं के प्रभारी आदि अधिकारीगण सम्मिलित हुए। सैनिक सम्मलेन के दौरान महोदय द्वारा विभिन्न थानों व कार्यालयों से आए पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत व विभागीय समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनके समयबद्ध विधिक निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की थानावार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। हत्या,दुष्कर्म,लूट आदि जघन्य अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरुष्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करने व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गम्भीर अपराधों, पॉक्सों एक्ट, बलात्कार आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अकुश लागने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध मादक पदार्थो के निर्माण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर इनकी रोकथाम एवं ऐसे कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। आगामी त्यौहारों होली व शब-ए-बारात के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं पीस कमेंटी की मीटिंग आयोजित करके त्यौहारों को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मनाने की अपील करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>जिलाधिकारी खीरी व पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा जिला कारागार का मासिक निरीक्षण किया गया</u>

आज दिनांक 28.02.2023 को जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा जिला कारागार खीरी का मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण कारागार परिसर का भ्रमण कर पुरुष बैरक, महिला बैरक, मेस, अस्पताल आदि का निरीक्षण करते हुए संघन चेंकिग व तलाशी करायी गयी तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे है अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.02.2023 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों 1. जमुना पुत्र कृपाल निवासी ग्राम पचपेड़ा टांडा थाना सिंगाही जनपद खीरी 2. सुरेश पुत्र मेलाराम निवासी ग्राम पचपेड़ा टांडा थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का विवरण-

1. जमुना पुत्र कृपाल निवासी ग्राम पचपेड़ा टांडा थाना सिंगाही जनपद खीरी
2. सुरेश पुत्र मेलाराम निवासी ग्राम पचपेड़ा टांडा थाना सिंगाही जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजीत तिवारी, थाना सिंगाही
2. हे0का0 रामभवन थाना सिंगाही
3. का0 हरिकेश यादव थाना सिंगाही

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त अभियुक्त रामलखन पुत्र जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे है अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.02.2023 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामलखन पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम सुरजनपुर न0 5 थाना मैलानी जनपद खीरी को संबंधित मु0अ0सं0 550/2022 धारा 323/504/147/325 भादवि0 व धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामलखन पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम सुरजनपुर न0 5 थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना मैलानी
2. म0का0 मोनिका यादव

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, 8.20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर अभियुक्त तीरथ भट्ठा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.02.2023 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान 8.20 ग्राम ब्राउन शुगर व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल यामहा एफ०जेड बरामद कर अभियुक्त तीरथ भट्ठा पुत्र जयराम भट्ठा निवासी दादल धौरा धनगढ़ी नेपाल राष्ट्र को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु0अ0सं0 40/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

तीरथ भट्ठा पुत्र जयराम भट्ठा निवासी दादल धौरा धनगढ़ी नेपाल राष्ट्र

बरामदगी-

8.20 ग्राम ब्राउन शुगर

एक अदद मोटरसाइकिल यामहा एफ०जेड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 आशीष सहरावत, थाना सम्पूर्णानगर

2-हे0का0 जीतेन्द्र गौड़, थाना सम्पूर्णानगर

3-का0 अचल वर्मा, थाना सम्पूर्णानगर

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ0सं0 182/23 धारा 323/504/308 भादवि में वांछित अभियुक्त पवन पुत्र रामासरे निवासी संकटा देवी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना चन्दनचौकी पुलिस द्वारा अ0सं0 380/23 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र बिहारीलाल निवासी बेलापरसुआ थाना चन्दनचौकी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 170 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **170 लीटर** अवैध कच्ची शराब बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।